CCPA के कार्य

- संबंधित व्यापारी, निर्माता, विज्ञापनकर्ता, विज्ञापनदाता, प्रकाशक को या तो एक गलत या भ्रामक विज्ञापन बंद करने, या इसे संशोधित करने के लिए निर्देश जारी करें।
- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करें और उचित मंचों में अभियोजन का पीछा करें।
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं को सुरक्षा नोटिस जारी करना।
- मामलों के सिद्ध होने पर दंड का प्रावधान करें।

उपभोक्ता संरक्षण क्या है?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना होगा। यह उपभोक्ता अधिकारों और संस्थान की शिकायतों / अभियोजन के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है।

- 2019 के अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया।

- अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए और उक्त उद्देश्य के लिए, उपभोक्ताओं के विवादों के समय पर और प्रभावी प्रशासन और निपटान के लिए अधिकारियों को स्थापित करना और उनके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है।

॥वसुधैव कुटुम्बकम्॥

SYMBIOSIS
LAW SCHOOL, NOIDA

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

JAGO GRAHAK JAGO

शिकायत कहां दर्ज करें

- **जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग**
  - दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। [धारा। 34]
- **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग**
  - दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।[धारा। 47]
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग**
  - दावा 10 करोड़ रुपये से अधिक है। [धारा। 58]

दंड

- **गलत या भ्रामक विज्ञापन:** 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद।
- **मिलावटी उत्पादों के कारण उपभोक्ता को चोट:** निर्माता, विक्रेता या वितरक को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की कैद हो सकती है।
- **मिलावटी उत्पादों के कारण उपभोक्ता की मौत:** 10 लाख रुपये का न्यूनतम जुर्माना और सात साल की कैद जो आजीवन कारावास तक हो सकती है।

उपभोक्ता मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

चरण 1

सूचना: उत्तेजित पार्टी माल और सेवाओं के प्रदाता को एक नोटिस भेजती है। यह नोटिस उपभोक्ता के कार्य करने के इरादे के बारे में सूचित करता है।

चरण 2

शिकायत का प्रारूपण: यदि विक्रेता या सेवा प्रदाता मुआवजे की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं है, तो उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण के तहत एक औपचारिक शिकायत दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया से उपभोक्ता स्वयं निपट सकता है। उपभोक्ता को निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करना होग।:

1. दोनों पक्षों का नाम, पता और विवरण कार्रवाई का कारण, अनुमानित तिथि, समय और स्थान।
2. कार्रवाई के पीछे प्रासंगिक कारण।
3. उपभोक्ता द्वारा दावा या मुआवजा शिकायतकर्ता या अधिकृत वकील का हस्ताक्षर।

चरण 3

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: शिकायत का समर्थन करने के लिए अदालत के समक्ष सामग्री साक्ष्य और दस्तावेजों का उत्पादन किया जाना आवश्यक है।

- बिल की कॉपी, डिलीवरी रसीद, पैकेजिंग, ऑनलाइन बुकिंग का रिकॉर्ड।
- वारंटी / गारंटी कार्ड।
- लिखित शिकायत और नोटिस की प्रति।

चरण 4

उपयुक्त आयोग: उपभोक्ता को उचित मंच चुनने की आवश्यकता है।

चरण 5

वेतन अदालत शुल्क: शिकायत के साथ एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

चरण 6

अदालत में शपथ पत्र प्रस्तुत करें: यह प्रमाण है कि वर्णित सभी तथ्य सही हैं।